न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

नामांतरण अपील सं0 02/2015

1. हजारी लाल पुत्र रामसहाय जति मीना निवासी ग्राम हुडला तहसील महवा जिला दौसा।
.. अपीलांट

बनाम

1. शिवलाल पुत्र चन्दन – मृतक
   1/1 कैलाश पुत्र स्व. शिवलाल – मृतक
   1/1/1 श्रीमती गिन्नो पत्नि स्व. कैलाश चन्द जाति मीना निवासी ग्राम हुडला तहसील महवा जिला दौसा
   1/1/2 श्रीमती बीना पुत्री स्व. कैलाश चन्द पत्नि प्रेमचन्द मीना जाति मीना निवासी ग्राम रायसना तहसील नादौती जिला करौली
   1/1/3 कुलदीप पुत्र स्व. कैलाश चन्द जाति मीना निवासी ग्राम हुडला तहसील महवा जिला दौसा
   1/1/4 लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. कैलाश चन्द जाति मीना निवासी ग्राम हुडला तहसील महवा जिला दौसा
   1/2 बाबूलाल पुत्र स्व. शिवलाल
   1/3 जगदीश पुत्र स्व. शिवलाल
2. सियाराम पुत्र मोतीराम
3. राधेश्याम पुत्र मोतीराम
4. हरिओम पुत्र चिरंजी
5. अमरसिंह पुत्र चिरंजी
   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम हुडला तहसील महवा जिला दौसा
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार महवा जिला दौसा

....रेस्पोडेन्ट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 344 दिनांक 03.02.1983 ग्राम हुडला तहसील महवा द्वारा तहसीलदार महवा जिला दौसा

उपस्थित : 1. श्री ऋद्धिचन्द शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं0 1/1/1, 1/1/3, 1/1/4, 1/2, 1/3 व 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक: 03.12.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि साबिक खसरा नम्बर 127 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 139 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 291 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 451 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 282/534 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम हुडला तहसील महवा जिला दौसा की खातेदारी मोती पुत्र कंचन हिस्सा 1/2 तथा हजारी पुत्र रामसहाय व हरिओम, अमरसिंह पिसरान चिरंजी हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज चली आ रही थी। तहसीलदार महवा ने नाजायज रूप से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के खसरा नम्बर 191 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का नामान्तरकरण मोती पुत्र कंचन, हजारी लाल पुत्र

रामसहाय, हरिओम, अमरसिंह पिसरान चिरंजीलाल हिस्सा 1/4 व शिवलाल पुत्र चंदन हिस्सा 1/4 के नाम पटवारी हल्का से दर्ज करवाकर दिनांक 03.02.1983 को भरवाकर अवैध रूप से तस्दीक कर दिया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 344 दिनांक 03.02.1983 ग्राम हुडला तहसील महवा के विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं0 1/1/1, 1/1/3, 1/1/4, 1/2, 1/3 व 2 की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि कानूनन किसी भी भूमि का नामान्तरण खोले जाने हेतु या तो किसी भी सक्षम न्यायालय का अंतिम निर्णय व डिक्री या कोई हस्तान्तरण अभिलेख या किसी भी खातेदार की मृत्यु हो जाने के पश्चात इंतकाल द्वारा उसके वारिसान को उतराधिकार में खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर ही नामान्तरकरण भरकर तस्दीक किया जा सकता है परन्तु हस्तगत प्रकरण में इस प्रकार का ना ही तो कोई विलेख है और न ही शिवलाल किसी खातेदार का उतराधिकारी था और न ही किसी सक्षम न्यायालय का निर्णय व डिक्री की है। उक्त नामान्तकरण बिना किसी अधिकार के पटवारी हल्का द्वारा भरा जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है जो प्रारम्भतः शून्य व खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण भरने व तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट और न ही अन्य खातेदारान को किसी प्रकार का नोटिस दिया है। अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही पीठ पीछे से अवैध तरीके से नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। खसरा नं0 191 या 192 या 291, 292 या 290 वाके ग्राम हुडला से कोई लेना देना व सरोकार नही रहा है। अपीलांट राजकीय सेवा मे सेवारत था तथा नौकरी के सिलसिले मे बाहर ही रहता था। अपीलांट सेवानिवृति के पश्चात् गांव आकर रहने लगा और उपरोक्त वर्णित भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा था। परन्तु दिनांक 14.05.2015 को अपीलांट पटवारी हल्का के पास किसान क्रेडिट कार्ड हेतु जमाबंदी की नकल लेने गया तो उक्त भूमि के हाल खसरा नंबरान मे शिवलाल पुत्र चंदन का नाम खातेदारी मे अंकन पाया गया। तब अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान तहसील महवा के द्वारा पटवारी हल्का हुडला को प्रेषित पत्र दिनांक 24.01.83 मे रजामंदी का हवाला दिया गया है किन्तु कोई दस्तावेज इस संबंध मे नहीं है। अपील पेश होने के बाद तहसील के रिकार्ड में छेडखानी कर खसरा नं0 191 को 291 किया गया है। नामान्तरकरण बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के खोला गया है। अवैधानिक आदेश को किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। अतः उक्त तथ्यों पर गौर फरमाते हुए अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 344 दिनांक 03.02.83 ग्राम हुडला तहसील महवा को निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स द्वारा जबाव बहस में निवेदन किया गया कि अपीलांट द्वारा 32 साल बाद अपील पेश की गई है। अपील इतने विलम्ब से किये जाने का कोई उचित कारण भी स्पष्ट नही किया गया है। तहसीलदार के दिनांक 24.01.83 के आदेश की पालना नामान्तरकरण खोला गया है। उक्त आदेश दिनांक 24.01.83 की अपील नही की गई है। अपील 03.02.83 के नामान्तरण की गई है। राजस्व अभियान मे जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसमे अपीलांट का नाम है। इसका मतलब अपीलांट की जानकारी में था। उक्त प्रश्नगत नामान्तरण भूमि पर कब्जा रेस्पोडेन्ट का कब्जा था। सैटलमेन्ट मे नये खसरा नं0 बन गये है।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान तहसील महवा द्वारा पटवारी हल्का हुडला को प्रेषित पत्र क्रमांक 294/राज.अभि./83 दिनांक 24.01.83 का अवलोकन करने पर खसरा नं. 291 जिसका मौजूदा इन्द्राज मोतीराम पुत्र कंचन हिस्सा 1/2, हजारीलाल पुत्र रामसहाय, हरिओम, हरिशंकर पुत्र चिंरजीलाल हिस्सा1/2 अंकित किया गया है एवं दूसरी ओर मोतीराम पुत्र कंचन, हजारीलाल पुत्र रामसहाय, हरिओम, हरिशंकर पुत्र चिंरजीलाल हिस्सा1/4, शिवलाल पुत्र चन्दन हिस्सा 3/4 जाति मीणा निवासी हुडला अंकित किया गया है। उक्तानुसार हस्व रजामंदी नियमानुसार नामान्तरण दर्ज कर फैसल कराने के निर्देश दिये गये है। किंतु मौजुदा इन्द्राज के अनुसार अंकित खातेदारान में अप्रार्थी शिवलाल किस प्रकार से अंकित किया गया है। इस संबंध मे कोई स्पष्ट अंकन नहीं किया गया है। उक्त आदेश किस सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किया गया है स्पष्ट नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण 344 दिनांक 3.2.1983 खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार महवा को रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य एवं सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 03.12.2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा